

कायालय अंगठी ११ गङ्गाल Raupi पत्र खाप्ति सख्ता ।
 सख्ता - ६६३/८-एल०५०००- (२०१९-२०२०) पौडी पिनाक जगवरी २७, २०२० पत्रावली संख्या ।
 || आदेश || नियांक १२/०४;

सदिव,(प्रभारी) सत्तराखण्ड शासन,राजस्य अनुगाम-2 देहसाठून ने अपने पत्र भा०-०४ /viii/ 5/2020-18(11)/2020 दिनांक 22 जनवरी २०२० के द्वारा जनपद गढधाल के विकाराखण्ड कल्जीखात में नयार नदी पर मखेलूल गांव के पास १६० गीटर रथान के मोटर पुल के निर्माण हेतु ग्राम ओडल वडा पट्टी) लवूर वल्ला-३ के खाता रा०-०८,०८ एवं १० घरारा रा०-६८,१२०,१२० अंजित ०.०५६ श्रेणी-९(3)ए १०(1) सञ्च राकार की गूमि लोक निर्माण विभाग पौड़ी के पक्ष ने निम्नलिखित शर्तों पर प्रतिवान्धों के अधीन नि शुल्क उस्तान्तरण किय जाने की सार्व स्वीकृति प्रदान की गई है।

- मूर्गे पर कोई धार्मिक एवं ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
 जिस परियोजना के लिये मूर्गे हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिये शासन वी अनुमति ग्रापा हो चुकी हो।

हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से गिन प्रयोजन के लिये उपयोग की जाय तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

यदि भूमि की आवश्यकता न हो या तीन वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिये उपयोग में नहीं लायी जाती है तो वो मूल विभाग में स्वतः ही निहित हो जायेगी।
 जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की जा रही है उससे गिन किसी अन्य प्रयोजन हेतु विभी अन्य व्यक्ति, सरकार, समिति, अधादि विभाग आदि को मूल विभाग की सहमति के दिना भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।

जिस प्रयोजन हेतु भूमि आवंटन को जा रही है उसकी पूति को उपसन्त यदि भूमि अवशेष पड़ी हो तो गूल विभाग दो उरो बापरा लेने का अधिकार होगा।

एक विभाग दूसरे विभाग से हस्तान्तरित भूमि का कोई सूत्य नहीं लेगा, लेकिन यदि इस भूमि पर ५०.५८% अन्य वन समान हो तो प्राकर्त्ता विभाग द्वारा वन विभाग को उक्त वन सम्पद का मूल्य भुगतान नहीं पड़ेगा।
 प्रश्नागत भूमि वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि उपयोग का परिवर्तन गैर वानीकी कार्य हेतु तभी अनुमति होगा जब उक्त अधिनियम के अन्तर्गत नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त वन ली जायेगी।
 प्रश्नागत तान जोखाएत भूमि काकड़ी वन व जांगोदारी विनाश एवं भूमि-सुधार अधिनियम की प्रक्रिया के साथ वन व जांगोदारी का अनुपालन गिरावधिकारी द्वारा सुनिश्चित होनी चाही।
 इस संघर्ष में सिविल अपील राज्या २०१२/२०११ (एच०एल०पी००/सी०) संख्या-३१०९/२०११ श्री जगपाल सिंह एवं आय बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य तथा सिविल अपील सं०-४३८/२०११/२०२०३/२००७ द्वारा दिये गये आदेश जनवरी २०११ में मात्र सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश जनवरी २०११ में मात्र सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं अन्य संगत निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
 आवटन की अवधि समाप्त होने अथवा सप्तरोक्त शर्तों के बिन्दु संख्या-०१ से १० में से किसी शर्त का उल्लंघन होने वाली स्थिति में प्रश्नागत भूमि गिरावं सहित शिक्षा विभाग में निहित हो जायेगी। जिसके लिये कोई प्रतिक्रिया देख नहीं होगा।
 इस संघर्ष में नियमानुसार अपील जागताही सुनिश्चित करते हुये शासनादेश की शर्तों की अनुपालन राज्य समिति का

(श्रीराज सिंह गव्याल)
जिलाधिकारी गढ़वाल।

- प्रतिलिपि-** निम्नान्वयन की सुरक्षाते एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
 १- समितिका शोधनाराखण शासन राजस्व अनुभाग- २ देहसादून।
 २- अन्युना देवता व अल्ला पौडी।
 ३- प्राचीनता के बारे में इतिहास वह सांस्कृतिक साण्डल, ताठनियों पौडी।
 ४- सपांगित्याधिकारी, जो पौडी गडवाते।

सुमित्रा-२७४/२१८०८०-१२/१९, फ्र०-०१-२-२०२०
प्रतिलिपि अधिकारी अधिकारी.

બ્રાહ્મ
(ધીરાજ સિંહ ગલ્યાલ)
જિલાધિકારી, ગઢવાલ।

छात्र योग्यिता की स्वतन्त्र एवं सावधानी लाभादेश्वर द्वय
चुषित।

Kri Neelam (J.B.)
CIL of Si 2th Jap

20 जिलाधिकारी, गढ़वाल।
लोकवादी हेतु
अधिकार अभियन्ता
12वां वृत्त लो० नि० वि०
प्रियदीप शर्मा
21-02-2020